संख्या:97/2021/1921/छप्पन-2021-41/03टी0सी0

प्रेषक,

डॉ सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 18 नवम्बर, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 के उपयोगार्थ 01 अतिरिक्त वाहन किराए पर लिए जाने की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 331/ना0उ0नि0/कि0वा0/2021, दिनांक 29 सितम्बर**,** 2021 तथा शासनादेश संख्या-59/2021/885/छप्पन-2021-41/03 दिनांक 31 मई, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें |

2- शासनादेश संख्या-59/2021/885/छप्पन-2021-41/03 दिनांक 31 मई, 2021 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में नागरिक उड्डयन निदेशालय के उपयोगार्थ अपरिहार्य न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर किराये पर लिए जाने वाले वाहनों की अधिकतम संख्या 06 अवधारित की गयी है | उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29 सितम्बर**,** 2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि निदेशालय में राजकीय वाहनों एवं वाहन चालकों की कमी के दृष्टिगत नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 के उपयोगार्थ आउटसोर्सिंग के माध्यम से 01 अतिरिक्त वाहन किराये पर लिया जाना अत्यंत आवश्यक है।

3- उक्त पत्र में किए गए प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के उपयोगार्थ आउटसोर्सिंग के माध्यम से 01 अतिरिक्त वाहन किराये पर लिये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(क) नागरिक उड्डयन निदेशालय में वाहन के उपयोग के लिए अधिकृत अधिकारियों की अपरिहार्य आवश्यकता एवं उपलब्ध वाहनों के संचालन में अपरिहार्य/न्यूनतम व्यय के सम्बन्ध में निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश सुनिश्चित करेंगे।

(ख) निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश आउट सोर्सिंग के माध्यम से वाहन किराये पर लिये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध शासनादेशों/नियमों/विनियमों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(ग) निजी फर्मो का आबद्धीकरण राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 के सम्बन्धित शासनादेश में इंगित फर्मों के माध्यम से शासनादेश में इंगित वैधता अवधि में किया जाएगा |

(घ) नागरिक उड्डयन विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 के सम्बन्धित शासनादेश से इतर जेम पोर्टल की शर्तों/SLA (सर्विस लेवल अग्रीमेंट)के अनुसार ई-टेंडर के माध्यम से भी वाहनों का आबद्धीकरण किया जा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सकता है| ऐसी स्थिति में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(ड) यदि राज्य सम्पत्ति विभाग के शासनादेश के अधीन वाहन सम्बद्ध किए गए हों तो किसी फर्म की वैध सूची से बाहर होने की दशा में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उस फर्म का सम्बद्धीकरण समाप्त कर दिया जाए।

(च) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा फरवरी माह के प्रारम्भ में अगले वित्तीय वर्ष के लिए वाहनों की आवश्यकतानुसार शासन की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु आबद्ध की गई फर्म से न्यूनतम किराए और अपरिहार्य आवश्यकता के आधार पर ही वाहन किराए पर लिए जाएंगे और फर्म को भुगतान सुसंगत नियमों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।

3- उपर्युक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन सुसंगत लेखाशीर्षक ''2070-अन्य प्रशासकीय सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय के मानक मद-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

पृ0सं0: 97/2021/1921(1)/छप्पन-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।,विभूतिखण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-।0
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।